UPME010190992021

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–1, मेरठ
उपस्थित :– राकेश कुमार–पंचम (एच०जे०एस)
JO Code No. – UP–6155

दाण्ड़िक निगरानी सं०–357 सन् 2021

1– राजकुमार
2– अमरीश कुमार
3– विनोद कुमार
पुत्रगण कृष्णपाल सिंह

4– राजकुमार
5– रविन्द्र
6– शिव कुमार
पुत्रगण महेशपाल सिंह
समस्त निवासीगण ग्राम कपसाड़,परगना व तहसील सरधना जिला मेरठ।

... ... निगरानीकर्तागण

बनाम

1– श्रीमती अनिता पत्नि प्रमोद निवासी ग्राम कपसाड़,तहसील सरधना,जिला मेरठ
2– उत्तर प्रदेश राज्य द्धारा कलेक्टर,मेरठ।

... ... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– निगरानीकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार वर्मा,एडवोकेट
विपक्षी सं0–1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गोयल,एडवोकेट
विपक्षी सं0–2 राज्य की ओर से विद्वान ए0डी0जी0सी0''फौज0'' श्री शिवम गुप्ता

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्ड़िक निगरानी वाद सं० 1670 सन 2016 अनिता बनाम राजकुमार आदि अन्तर्गत धारा 145 दं०प्र०सं० थाना सरधना जिला मेरठ में विचारण न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सरधना,मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01–10–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत आदेश के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 145 दं०प्र०सं०के तहत आदेश पारित करते हुए उल्लिखित किया गया है कि विवादित भूमि तब तक कुर्क रहकर, सुपुर्दगार के कब्जे में रहेगी,जब तक कोई भी पक्ष अपना स्वामित्व सक्षम न्यायालय से घोषित नही करा लेता है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पूर्ववत कुर्क रहते हुए सुपुर्दगी श्रीपाल पुत्र जसवन्त के कब्जे में

तब तक रहेगी जब तक सक्षम न्यायालय किसी एक पक्ष के हक में स्वतत्व निर्धारित करे। जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

2– इस निगरानी के उत्पन्न होने के सम्बन्ध में संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उपरोक्त वाद की कार्यवाही अवर न्यायालय में श्रीमती अनीता पत्नी प्रमोद की ओर से दिये गये प्रर्थनापत्र दिनांक 26–03–2009 के आधार पर आरम्भ हुई। विवादित भूमि के सम्बन्ध में तत्कालीन पीठासीन अधिकार द्वारा दिनांक 26–03–2009 को प्रभारी निरीक्षक, थाना सरधना को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि "कृपया विधिक कार्यवाही अन्तर्गत धारा–107/116(3)/145 सी०आर०पी०सी० करने हेतु जांचोपरान्त आख्या दें। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनाक 26–03–2009 के अनुपालन में थाना सरधना से बाद जॉच विवादित भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–145 व 146 (1) सी०आर०पी०सी० इत्त आशय से दिनांक 31–03–2009 को इस न्यायालय में मय नक्शा नजरी विवादित भूमि प्रषित की गयी कि "गम्भीर घटना घटित होने को रोकने एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उक्त भूमि गाटा संख्या–1198 व 1399 स्थित ग्राम कपसाड व गाटा संख्या–111 व 115 स्थित ग्राम चकबन्दी की विवादित भूमि व ईन्च की फसल को कुर्क करने हेतु धारा–145 सी०आर०पी०सी० की रिपोर्ट प्रेषित है। अतः दोनों पक्षों को सुनकर शीघ्र ही उचित आदेश पारित करने की कृपा करें, ताकि शान्ति व्यवस्था कायम रह सके।" जिसके अवलोकनोपरान्त आख्या से सहमत होकर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्तर्गत धारा–145 (1) सी०आर०पी०सी० तथा 145(1) सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत आदेश पारित किये गये, जिसके आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने प्रारम्भिक आदेश अन्तर्गत' धारा–145 (1) सी०आर०पी०सी० विवादित भूमि के सम्बन्ध में पक्षों को नोटिस जारी किया गया तथा दूसरा नोटिस आदेश दिनांक 02–04–2009 को प्रभारी निरीक्षक, सरधना को इस आशय का पारित किया कि नोटिस अन्तर्गत धारा–146 (1) सी०आर०पी०सी० वह विवादित सम्पत्ति को कुर्क करके किसी निष्पक्ष व्यक्ति की सुपुर्दगी में देकर अपनी आख्या तीन दिन के अन्दर प्रस्तुत करे। जिसके अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना सरधना ने फर्द कुर्की सहित अपनी आख्या दिनांक 05–04–2009 को इस न्यायालय में उपलब्ध करायी। प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपनी आडया में, उल्लिखित किया गया कि "आदेश दिनाकित 02–04–2009 श्रीमती अनीता पत्नी प्रमोद निवासी कपसाड बनाम राजकुमार आदि पुत्ररण कृष्णपाल व रविन्द्र आदि पुत्रगण महेशपाल सिंह निवासी ग्राम कपसाड थाना सरधन जिला मेरठ की विवादित भूमि स्थित ग्रान गाटा संख्या–1198, 1339 व ग्राम चकबन्दी में स्थित भूमि गाटा संख्या–111 व 115 खड़ी ईख की फसल भूमि को कुर्क कर, आवश्यक हिदायत देकर श्रीपाल पुत्र जरावन्त सिंह निवासी कपसाड थाना सरधना जिला मेरठ को निष्पक्षता का ख्याल रखते हुए. सुपुर्द किया गया तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01–10–2021 में उल्लिखित किया गया कि विवादित भूमि तब तक कुर्क रहकर, सुपुर्दगार के कब्जे में रहेगी, जब तक कोई भी पक्ष अपना स्वामित्व सक्षम न्यायालय से घोषित नहीं करा लेता है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पूर्ववत् कुर्क रहते हुए सुपुर्दगार श्रीपाल पुत्र जसवन्त के कब्जे में तब तक रहेगी जब तक सक्षम न्यायालय किसी एक पक्ष के हक में स्वत्व निर्धारित करे।

3– विद्वान विचारण न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सरधना, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01–10–2021 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

4– निगरानीकर्तागण ने अपनी निगरानी में मुख्य रूप से प्रश्नगत आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2021 अवैधानिक होने के कारण खण्डित होने योग्य है। अवर न्यायालय का आदेश मन माना आदेश है, जो पारित करते समय तथ्यों एवं विधि को अनदेखा कर

मानमाना विधिविरुद्ध पारित किया है, जो स्वंय ही खण्डित होने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा पारित किया गया मन–माना आदेश पारित किया है. जो हर सूरत में खण्डित होने योग्य है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने खसरा नम्बर 1198 रकबई 0.4860 है० तथा खसरा नम्बर 1339, रकबई 0.5520 है० के सम्पूर्ण खाते का बैनामा श्रीमति मेमवती पुत्री सूबेसिंह पत्नी जसराज सिंह से कराया था। जिसका दाखिल खारिज दिनांक 01.10.2004 को तहसीलदार सरधना द्वारा किया जा चुका है। जो उद्धरण खतौनी व खसरा द्वारा पत्रावली पर सिद्ध है, तथा तभी से निगरानीकर्तागण अपने–अपने भाग पर बोजोत द्वारा काबिज थे, लेकिन प्रतिवादी द्वारा बिना किसी साक्ष्य के गलत आधार पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर व गलत तथ्य पेश किये है. जिनके आधार पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.10. 2021 को गलत आदेश पारित किया है, जो हर हाल में खण्डित होने योग्य है। राजस्व निरिक्षण द्वारा श्रीमति मेमवती के हक में प०क 0–11 में प्रविष्टि की गयी। जिसकी पुष्टी तहसीलदार सरधना द्वारा दिनांक 01.10.2004 में की गयी, प्रतिवादी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमान उपजिलाधिकारी सरघना (मेरठ) न्यायालय में अपील की गयी, जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2006 को निरस्त कर दी गयी, जिस के विरुद्ध प्रतिवादी द्वार आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ में निगरानी दाखिल की गयी, जिसमें माननीय अपर आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा दिनांक 05.01.2008 को निगरानी स्वीकार की गयी। प्रार्थी/ निगरानीकर्ता द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व परिषद लखनऊ में निगरानी दायर की गयी जिसमें राजस्व परिषद लखनऊ द्वारा अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ का आदेश दिनांक 26.07.2013 को निरस्त कर दिया, व उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट पोटीशन सं० 49980/2013 दाखिल की गयी, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.09.2013 को खारिज कर दिया। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में माननीय न्यायालय तहसीलदार सरधना के आदेश यथावत चला आ रहा है, तथा प्रतिवादी के पक्ष में किसी भी न्यायालय से कोई आदेश वर्तमान में नहीं है। प्रतिवादी सं० 1, के पति झगड़ालू व मुठमर्द किस्म का व्यक्ति है, तथा प्रतिवादी द्वारा निगरानीकर्तागण को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थी / निगरानीकर्ता वर्तमान से उक्त कृषि भूमि के पूर्णत्या स्वामी है, जबकि प्रतिवादी का कोई स्वामित्व उक्त कृषि भूमि में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में लिखा है कि जब तक कोई भी पक्ष अपना स्वामित्व सक्षम न्यायालय से घोषित नही करा लेता जब तक विवादित भूमि कुर्क रहते हुए, सुपूर्दगार के कब्जे में रहेगी। माननीय अधिनस्थ न्यायायल ने उक्त कृषि भूमि के स्वामी के सम्बन्ध में स्वंय अपने आदेश में लिखा है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता के पक्ष में श्रीमान तहसीलदार सरधना, उपजिलाधिकारी, सरधना व बोर्ड ऑफ रेवन्यू लखनऊ से आदेश हो चूका है, तथा बोर्ड ऑफ रेवन्यू के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दाखिल की गयी थी, जो खारिज हो चूकी है, ऐसी स्थिती में उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी / निगरानीकर्ता पूर्ण रूप से स्वामी है, माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिवंश होने के कारण खण्डित होने योग्य है। प्रतिवादी ने जिस अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अपना स्वामित्व बताया है, वह अपंजीकृत वसीयत किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वर्तमान में लागू नही है, ना ही प्रतिवादी वर्तमान में उक्त कृषि भूमि की स्वामी है। प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर प्रार्थी / निगरानीकर्ता को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रर्याप्त साक्ष्य संकलन के आदेश पारित किया है, जो हर हाल में खण्डित होने योग्य है। दिनांक 26.03.2009 के आधार पर 107/116 सी०आर०पी०सी० व 145 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही की गयी थी, व 107/116 सी०आर०पी०सी० उसी वर्ष ख़त्म हो गयी थी, उसके बाद लगभग 12 वर्ष से ना तो कभी 107/116 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही हुई ना ही कभी शान्ति भंग होने व झगड़ा होने का कोई खतरा हुआ है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों व कारणों के आधार पर प्रार्थी/निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.10.2021 निरस्त कर उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी की सुपुर्दगी में देने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

5– निगरानीकर्तागण की ओर से अपनी निगरानी के समर्थन में प्रश्नगत आदेश की सत्य प्रतिलिपि को दाखिल किया गया है।

6– विपक्षी सं0–1 व 2 की ओर से प्रश्नगत निगरानी के विरूद्ध आपित्त दाखिल नही की गयी है अपितु प्रश्नगत निगरानी का मौखिक रूप से विरोध करते हुए कथन किया गया है कि निगरानी गलत तथ्यों पर आधारित है तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिनुसार पारित किया गया है जिसे पारित करने में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि कारित नही की गयी है। उनके द्वारा प्रश्नगत निगरानी को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7– पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को निगरानी पर सुना गया। निगरानी पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं अवर न्यायालय की मूल पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

8– निगरानीकर्तागण के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा पारित किये गये प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01–10–2021 के विरूद्ध यह निगरानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है और विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांकित 01–10–2021 को मनमाना एवं विधि विरूद्ध बताया गया है।

9– निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 1198 रकबई 0.4860 है0 तथा खसरा नम्बर 1339,रकबई 0.5520 है0 के सम्पूर्ण खाते का बैनामा श्रीमती मेमवती पत्नि जसराज सिंह से निगरानीकर्तागण के द्वारा कराया गया था जिसका दाखिल खारिज दिनांक 01–10–2004 को तहसील सरधना द्वारा किया जा चुका है और तब ही से निगरानीकर्तागण अपने भाग पर काबिज थे लेकिन प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के द्वारा बिना किसी साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर तथा गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय से आदेश दिनांकित 01–10–2021 गलत ढंग से पारित करा लिया गया जो स्थिर रहने योग्य नही है। इसके अलावा निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया है कि राजस्व निरीक्षक के द्वारा श्रीमती मेमवती के पक्ष में प0क0–11 में प्रविष्टि की गयी जिसकी पुष्टि तहसीलदार,सरधना द्वारा दिनांक 01–10–2004 को की गयी। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध उप–जिलाधिकारी,सरधना के न्यायालय में अपील की गयी जो दिनांक 23–02–2006 को उक्त न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी जिसके विरूद्ध अपील किये जाने पर अपर आयुक्त मेरठ मण्डल,मेरठ द्वारा दिनांक 05–01–2008 को निगरानी स्वीकार की गयी। निगरानीकर्तागण के द्वारा उक्त आदेशके विरूद्ध राजस्व परिषद,लखनऊ में निगरानी दायर की गयी जिसमें अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ का आदेश निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद में रिट पैटीशन प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के द्वारा दाखिल की गयी जो माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16–09–2013 को खारिज कर दी गयी। इस प्रकार निगरानीकर्तागण के पक्ष में न्यायालय तहसीलदार,सरधना का आदेश यथावत् चला आ रहा है और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के पक्ष में किसी भी न्यायालय से कोई आदेश वर्तमान समय में नही है।

10– इस प्रकार निगरानीकर्तागण के द्वारा वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2013 तक दाखिल खारिज सम्बन्धी कार्यवाही की न्यायालयों में उत्तरोत्तर निगरानी की कार्यवाहियां एवं परिणामों के बारे में तो बताया गया है लेकिन यह नही बताया गया कि अवर न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित

01–10–2021 को पारित करने में क्या अवैधानिकता कारित की गयी और किस विधि का उल्लघंन किया गया जबकि विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा धारा 145 द0प्र0सं0 एवं धारा 146 द0प्र0सं0 का अनुपालन करते हुये दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01–10–2021 के पश्चात उभय पक्षों के मध्य विवादित सम्पत्ति के स्वत्व सम्बन्धी कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है और तथ्य उभय पक्ष को स्वीकार है।

11– इस प्रकार स्पष्ट है कि जब यह कार्यवाही अंर्तगत धारा 145 व 146 द0प्र0सं0 विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उस समय उभय पक्षों के मध्य स्वत्व या कब्जे हेतु कोई वाद किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नही था तब विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दण्ड प्रक्रियां संहिता के उचित प्रावधानों के अधीन उभय पक्ष को सुनने के पश्चात यह कार्यवाही सम्पादित की गयी जिससे स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01–10–2021 को पारित करने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि कारित नही की गयी है। ऐसा मत **माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद (लखनऊ खण्डपीठ) द्वारा जितेन्द्र कुमार बनाम अनिल कुमार व अन्य निर्णीत दिनांकित 31–03–2022 में अवधारित किया गया है कि " यदि कोई दीवानी वाद, सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कब्जे या स्वत्व हेतु आरम्भ हो जाये तब दण्ड प्रक्रियां की धारा 145 के अंर्तगत कार्यवाही जारी नही रहनी चाहिए "**। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि जब विद्वान विचारण न्यायालय में धारा 145 द0प्र0सं0 की कार्यवाही लम्बित थी। उस समय उभय पक्षों के मध्य स्वत्व एवं कब्जे आदि हेतु कोई वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नही था।

12– इसके अलावा यदि ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वत्व,कब्जे अथवा उद्घोषणात्मक डिक्री हेतु कोई वाद न्यायालय में आरम्भ हो जाता है तब दण्ड प्रक्रियां सहिंता की धारा 145 के अंर्तगत कोई कार्यवाही ऐसे न्यायालय में जारी नही की रखी जा सकती है क्योंकि स्वत्व या कब्जे हेतु कोई भी अनुतोष ऐसे सक्षम न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। ऐसा ही मत माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **Amresh Tiwari vs. Lalta Prasad Dubey and another (2000) 4 SCC 440** में अभिव्यक्त किया गया है,जो इस प्रकार हैः–

> **" We clarify that we are not stating that in every case where a civil suit is filed, Section 145 proceedings would never lie. It is only in cases where civil suit is for possession or for declaration of title in respect of the same property and where reliefs regarding protection of the property concerned can be applied for and granted by the civil court that proceedings under Section 145 should not be allowed to continue. This is because the civil court is competent to decide the question of title as well as possession between the parties and the orders of the civil Court would be binding on the Magistrate."**

अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय की राय में विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01–10–2021 को पारित करने में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि या अनियमितता कारित नही की गयी

है।

13– उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली के सम्यक् अवलोकन उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है। वह विधिसम्मत् है। उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण निगरानीकर्तागण द्वारा लिये गये आधारों में कोई सार नहीं है तथा निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या 357 सन 2021 बलहीन व सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01–10–2021 पुष्ट किया जाता है। विचारण न्यायालय को इस निर्णय की प्रति मय अभिलेख प्रेषित की जाये।

निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक–30–07–2026

(राकेश कुमार–पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–1
मेरठ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–30–07–2026

(राकेश कुमार–पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–1
मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference for authentic copy please refer to certified copy only.

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.07.31 17:20:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court